

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्र/PROJ-5502(2)/110/2026-DME नवा रायपुर, दिनांक 25-05-2026

प्रति,

संचालक,
 सांदीपनी एकेडमी,
 ग्राम: अछोटी, पो.-मुसुंदा, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

(संशोधित आदेश)

विषय:- सांदीपनी एकेडमी ग्राम- अछोटी, दुर्ग (छ.ग.) को बी.एस.सी.नर्सिंग-40 सीट, बीएससी (उन्नयन)- 40 सीट, पोस्ट बेसिक बीएससी-40 सीट एवं एमएससी-30 सीट्स के विद्यार्थियों को नवीनीकरण प्रशिक्षण हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के उपयोग की अनुमति।
 संदर्भ- आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र च्त्त्र.5502;2द्वध्110ध्2026.कडम् दिनांक- 28.04.2026

.....

विषयांतर्गत आयुक्त कार्यालय के संदर्भित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संचालनालय एतद्वारा सांदीपनी एकेडमी ग्राम: अछोटी, जिला- दुर्ग (छ.ग.) को बी.एस.सी.नर्सिंग-40 सीट, बीएससी (उन्नयन)- 40 सीट, पोस्ट बेसिक बीएससी-40 सीट एवं एमएससी-30 सीट्स के विद्यार्थियों को नवीनीकरण प्रशिक्षण हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के उपयोग हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. संबद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित मापदण्ड अनुरूप प्रति 10 छात्र एक ट्यूटर/क्लीनिकल प्रशिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।
2. अस्पताल द्वारा समय-समय पर जारी/निर्धारित नियम/अनुशासन/प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की जिम्मेदारी उक्त ट्यूटर/क्लीनिकल प्रशिक्षक एवं संबंधित संस्था की होगी।
3. अभ्यर्थियों को अस्पताल द्वारा निर्धारित वर्दी (UNIFORM) में ही समस्त प्रशिक्षुओं को प्रवेश की पात्रता होगी। उक्त वर्दी पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा किया जाएगा।
4. समस्त संकाय प्रशिक्षक एवं अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने तक संस्था द्वारा जारी तथा अस्पताल द्वारा सत्यापित फोटो पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य होगा।
5. (अ) संबद्ध निजी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु सुरक्षा निधि राशि रुपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख मात्र) संबंधित रोगीकल्याण समिति/सुरक्षा निधि/स्वशासी समिति/जीवनदीप समिति के खाते में जमा करनी होगी। साथ ही सुरक्षा निधि की राशि तीन वर्ष पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जाएगी।
 (ब) संबद्ध निजी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु अनुमति शुल्क रु. 200/- (रु. दो सौ मात्र) पाठ्यक्रमानुसार, प्रतिसीट, प्रतिमाह, प्रतिबैच, प्रतिछात्र, प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि संबंधित रोगी कल्याण समिति/स्वशासी समिति/जीवनदीप समिति के खाते में जमा करनी होगी।

(स) Bsc Nursing Course- 80 Students

1 st Year	80 student	200	03 Month	48,000.00
2 nd Year	80student	200	06 Month	96,000.00
3 rd Year	80 student	200	05 Month	80,000.00
4 th Year	80 student	200	07 Month	1,12,000.00
Total				3,36,000.00

(द) Post Basic B.Sc. Nursing Course- 40 Students

1 st Year	40 student	200	05 Month	40,000.00
2 nd Year	40 student	200	03 Month	24,000.00
Total				64,000.00

(घ) Msc Nursing Course- 30 Students

1 st Year	30 student	200	06 Month	36,000.00
2 nd Year	30 student	200	07 Month	42,000.00
Total				78,000.00

6. अनुबंध अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु द्वारा की गई क्षति की संपूर्ण जिम्मेदारी निजी नर्सिंग महाविद्यालय की होगी। क्षतिपूर्ति का आंकलन/राशि का निर्धारण अस्पताल द्वारा किया जायेगा जो कि अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा वह राशि जमा करना होगा जमा न करने की स्थिति में उक्त क्षतिपूर्ति की राशि का सुरक्षा निधि से कटौती की जायेगी।

7. नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षु छात्रों को प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग की सेवा में नियुक्त किया जाना एवं प्राथमिकता दिया जाना प्रावधानित नहीं होगा।

8. अनुबंध में संबंधित महाविद्यालय एवं अस्पताल द्वारा प्रशिक्षु छात्रों को प्रदाय किये जाने वाले समस्त सामग्री का उल्लेख किया जायेगा अनुबंध में प्रथम पक्ष की ओर से संस्था प्रमुख/संचालक तथा द्वितीय पक्ष की ओर से अस्पताल अधीक्षक अथवा सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुबंध में हस्ताक्षर किया जायेगा।

9. दोनों पक्षों को अनुबंध में निहित समस्त बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध मुक्ति हेतु एक माह का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

10. उक्त अनुमति आदेश 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक के लिए मान्य होगी। तदुपरांत पुनः अनुमति हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि शासन स्वयं का महाविद्यालय प्रारंभ करना चाहे तो एक माह की सूचना पर अनुमति वापस ली जाएगी।

11. किसी भी समय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु/क्लीनिकल प्रशिक्षक द्वारा अनुशासनहीनता पाये जाने पर संबंधित को अस्पताल प्रवेश पर रोक लगाई जा सकेगी तथा इसका उल्लंघन होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

12. भारतीय परिचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित पाली अनुरूप यथा प्रातः/अपरान्ह/रात्रिकालीन पाली में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

13. कुल प्रशिक्षण अवधि (घंटे)

Bsc Nursing course [Semester System New Syllabus]

Year		INC Prescribed hours	Total Hours	5 Hours/day	Month	Area of posting
First Year	I Semester	160 Hours [Hospital]	480 hours	96 Day	3 Month	Medical Surgical
	II Semester	320 hours [Hospital]				
Second Year	III Semester	480 hours [Hospital]	960 Hours	192 Day	6 Month 12 days	Medical Surgical+ Geriatric
	IV Semester	480 hours [Hospital]				
Third	V Semester & VI	240 hours	800	160 Days	5 Month	Pedia, & Psychiatric OBG,

Year	Semester	[Hospital] 560 Hours [Hospital]	Hours		10 day	Administration
IV Year	VII Semester 30 hours/week & VIII Semester [Internship 48 hours/week]	320 hours/10week [Hospital] 864 hours/18 weeks [Hospital]	1184 hours	28 week	7 Month	Midwifery Pedia, & Psychiatric Medical Surgical

*Internship hours will be 48 hours/week will include evening and night duty also.

Post Basic B.Sc Nursing course

Year	Area	INC Prescribed hours	5 Hours/day	Month	Area of Posting
First Year	Clinical Hospital	750Hours	150 Days	5 Month	MCH Pediatric and Medical Surgical Dept.
Second Year	Clinical Hospital	420 Hours	84 Days	3 Month	Psychiatric & all area of Hospital

Msc Nursing course

Year	Area	INC Prescribed hours	5 Hours/day	Month	Area of Posting
First Year	Clinical Hospital	200+650=850Hours	170 Days	6 Month	All Dept. [Adv Nursing, and Speciality]
Second Year	Clinical Hospital	150+950=1100 Hours	220 Days	7 Month	All Speciality Dept.

14. पॉली में अंतराल की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी।

15. दैनिक उपस्थिति बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा दर्ज की जायेगी। उपस्थिति पंजी पर संबंधित इकाई की परिचर्या प्रभारी (Sister in Charge) तथा मासिक पंजी पर अस्पताल अधीक्षक के हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा। क्लीनिकल प्रशिक्षण की उपस्थिति तृतीय पाली (रात्रिकालीन) में अनिवार्य होगी तथा प्रशिक्षु द्वारा किये जाने वाले समस्त दायित्वों के लिये उक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

16. प्रत्येक माह सावधिक (Periodical) पश्चात् कौशल का आंकलन अस्पताल द्वारा किया जायेगा। आंकलन समिति में विभागीय शिक्षक, अन्य संस्था की एक वरिष्ठ परिचर्या संकाय तथा संबंधित संस्था की परिचर्या संकाय सम्मिलित होंगे।

अ. निम्नलिखित विभागों से कोई एक सहायक प्रोफेसर/विशेषज्ञ

1. मेडिसीन विभाग
2. सर्जरी विभाग
3. प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग
4. शिशुरोग विभाग

ब. अन्य संस्थान के वरिष्ठ नर्सिंग फैकल्टी।

स. उसी संस्थान की नर्सिंग फैकल्टी।

17. क्लीनिकल प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं का सप्ताहिक मौखिक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

18. प्रशिक्षण की अवधि में यथा आवश्यक वृद्धि प्रशिक्षु के न्यूनतम वांछित कौशल अर्जित नहीं किये जाने की स्थिति में किया जा सकेगा।

19. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रशिक्षण में आवर्तन प्रत्येक दस माह में किया जायेगा।

20. यदि संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय को संबद्धता भारतीय परिचर्या परिषद्/पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छ0ग0 द्वारा निरस्त की जाती है तो अनुबंध स्वमेव समाप्त माना जायेगा।

21. सभी छात्र अच्छा आचरण करेंगे तथा अनैतिक कार्यों में संलग्न नहीं रहेंगे तथा अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई भी गोपनीय सूचना प्रचारित प्रसारित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देंगे।

22. छात्रों को महाविद्यालय से अस्पताल लाने ले जाने की जिम्मेवारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

23. छात्रों को अस्पताल के सभी नियम/निर्देश/विनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

24. शासकीय चिकित्सालयों में जिन शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों को अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय द्वारा क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी जाएगी। उक्त अनुमति आदेश में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय द्वारा रोस्टर में जो समय एवं माह नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित किया जाएगा, उसका पालन करना संबंधित शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों को करना अनिवार्य होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Ujit Singh Painkara

Date: 25-05-2026

11:04:07

संचालक चिकित्सा शिक्षा

छत्तीसगढ़

पृ.क्र/PROJ-5502(2)/110/2026-DME

नवा रायपुर, दिनांक 25-05-2026

प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति आयुष विश्वविद्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, रायपुर।

4. संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

5. लेखा शाखा, रोगी कल्याण समिति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित संस्था से बी.एस.सी. नर्सिंग 40 सीट, बीएससी (उन्नयन)- 40 सीट, पोस्ट बेसिक बीएससी-40 सीट एवं एमएससी-30 सीट्स पाठ्यक्रम का प्रति सीट, प्रतिमाह, प्रतिसीट की दर से वार्षिक शुल्क संबंधित संस्था से प्राप्त करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

-sd-

संचालक चिकित्सा शिक्षा

छत्तीसगढ़